कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुलन्दशहर।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 28.01.2019

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्रांक सं0 25/एसएलएसए–31(16)/2008 दिनांक 02.01.2019 व माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश दिनांक 10.01.2019 के अनुसार मध्यस्थ एंव सुलह समझौता केन्द्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुलन्दशहर में एक मध्यस्थ की नियुक्ति की जानी है। जिसमें उ0प्र0 सिविल प्रक्रिया मध्यस्थता नियमावली 2009 के धारा 5 के अनुसार निम्न अर्हता के व्यक्ति पात्र होंगे–

(I) सेवानिवृत्त जनपद न्यायाधीश एवं उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

(II) जिला न्यायालय के स्तर पर जिला न्यायालय व बाह्य न्यायालय में कम से कम 15 वर्ष के अनुभव के साथ विधि व्यवसायी।

(III) कम से कम 15 वर्ष के अनुभव के साथ विशेषज्ञ या अन्य वृत्तिक।

(IV) ऐसे व्यक्ति और संस्थाये जो मध्यस्थता में स्वयं विशेषज्ञ हो और उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित और मान्यता प्राप्त हो।

उक्त प्रकार के इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन दिनांक 04.02.2019 समय 4:00 बजे तक अपना सम्पूर्ण विवरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुलन्दशहर के कार्यालय में जमा कर सकते है तथा उ0प्र0 सिविल प्रक्रिया मध्यस्थता नियमावली 2009 के धारा 6 के अनुसार कोई ऐसा व्यक्ति जो दिवालिया हो, विकृत–चित हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध किसी अपराध में आरोप विरचित किये गये हो या किसी दण्ड न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो, वह पात्र नही होंगे।

उपरोक्त शर्तो के अनुसार मध्यस्थ एवं सुलह समझौता केन्द्र में **"एक पद मध्यस्थ"** हेतु आवेदन आमन्त्रित की जाती है।

उक्त विज्ञप्ति की एक–एक प्रति अध्यक्ष/सचिव डिस्ट्रिक्ट बार एशोसिएशन बुलन्दशहर व अध्यक्ष/सचिव सिविल बार ऐशोसिएशन बुलन्दशहर तथा बाह्य न्यायालय खुर्जा व अनूपशहर बार ऐशोसिएशन के अध्यक्ष/सचिव को प्रेषित की जावे तथा उक्त विज्ञप्ति की प्रति डिस्ट्रिक्ट बार एशोसिएशन बुलन्दशहर, सिविल बार ऐशोसिएशन बुलन्दशहर, सिविल न्यायालय बुलन्दशहर, राजस्व न्यायालय बुलन्दशहर के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर पर चस्पा की जावे तथा उक्त विज्ञप्ति की एक प्रति जनपद न्यायालय बुलन्दशहर की वेब साईट WWW.districts.ecourts.gov.in/bulandshahr पर डाउनलोड किये जाने हेतु सिस्टम ऑफिसर को प्रेषित की जावे।

उक्त नियत तिथि दिनांक 04.02.2019 समय 4:00 सांय के पश्चात् किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नही किया जायेगा।

(मुन्ना प्रसाद) 28/01/19

सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

बुलन्दशहर।